राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों के सम्बध में आवश्यक दिशा–निर्देश :–

1. ऑनलाईन भरे गये विस्तृत अवेदन पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म और प्राथमिकता क्रम दो प्रतियों में संलग्न करें। आवेदन पत्र के तुरन्त बाद अटेस्टेशन फॉर्म की पूर्ति कर संलग्न करें तथा प्रत्येक प्रति के साथ प्राथमिकता कम की प्रति साथ लगावें।

2. सभी मूल दस्तावेज साथ लाने है तथा विस्तृत आवेदन पत्र के ऑनलाईन शुल्क रूप में जमा 50/– रू. की रसीद भी संलग्न करें तथा 02 फोटो साथ लावें।

3. दस्तावेज के रूप में सैकण्डरी/सी.सैकण्डरी/स्नातक/स्नातकोत्तर व अन्य शैक्षणिक योग्यता की अंकतालिकाएँ और सर्टिफिकेट/उपाधि संलग्न करें।

4. यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो सेवा प्रमाण पत्र और एन.ओ.सी. संलग्न करें।

5. निम्नांकित वर्ग में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी विशेष ध्यान रखें:–
   A. (**NGE/RGE**- इस वर्ग में आवेदित अभ्यर्थी नियुक्ति दिनांक से वर्तमान तक की सेवा का सेवा प्रमाण पत्र और विभागीय एनओसी भी संलग्न करें।
   B. **TSP**- टी.एस.पी. क्षेत्र का प्रमाण–पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार अधिसूचना के पश्चात् का जारी प्रस्तुत करें।
   C. **EX-** इस वर्ग के अभ्यर्थी एक्स–सर्विसमेन की डायरी, पेंशन/पी.पी.ओ कार्ड संलग्न करें। यदि कही सेवारत नही हैं, तो दोहरे लाभ प्राप्त नही करने का शपथ पत्र संलग्न करें। सेना द्वारा जारी एन.ओ.सी. के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी एन.ओ.सी. संलग्न करें। यदि सेवानिवृत्ति के उपरान्त कहीं सेवारत है तो विभाग द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र, एन.ओ.सी. और सेवा में कार्यग्रहण के समय दी गई आवेदित परीक्षाओं की सूचना का स्पष्ट प्रमाण संलग्न करें।
   D. **DC**- इस वर्ग के अभ्यर्थी नियुक्ति दिनांक से वर्तमान तक की सेवा का सेवा प्रमाण पत्र और एनओसी भी संलग्न करें।
   E. **DV**- इस वर्ग के अभ्यर्थी तलाक की डिक्री एवं पुर्नविवाह किये जाने/नहीं किये जाने सबंधी स्वघोषणा पत्र संलग्न करें।
   F. **WD**- इस वर्ग के अभ्यर्थी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पति से लिंक दस्तावेज–मूल निवास/विवाह पंजीयन/राशनकार्ड अथवा अन्य कोई प्रामाणिक आई.डी. संलग्न करें। पुनर्विवाह किये जाने/नहीं किये जाने सबंधी स्वघोषणा पत्र संलग्न करें।
   G. **SC/ST/OBC/MBC/EWS**- इन वर्गो के अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के निर्धारित प्रपत्र पर पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। **OBC/MBC** वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 09.09.2015 एवं परिपत्र 21.06.2019 के अनुसार ओबीसी/एमबीसी प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी किये हुए मान्य होंगे। ओबीसी/एमबीसी प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना (साक्षात्कार प्रारम्भ होने की दिनांक से) नहीं होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी द्वारा 01 वर्ष से अधिक अवधि का प्रस्तुत किया जाता है तो वे अभ्यर्थी आगामी 01/02 वर्ष का नॉन–क्रिमीलेयर में होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

      EWS वर्ग के अभ्यर्थी नवीनतम प्रमाण पत्र (01 अप्रेल 2023 के बाद जारी) प्रस्तुत करें।

6. अभ्यर्थी आवेदन में अंकित स्वयं/पिता/माता का नाम और शैक्षणिक दस्तावेजो में अंकित नाम का मिलान कर लें। जिन अभर्थियों के स्वयं/पिता का नाम/माता का नाम में स्पेलिंग/सरनेम में अन्तर/त्रुटि है, वे अभ्यर्थी आवश्यक शपथ पत्र/गजट नोटिफिकेशन की प्रति भी साथ लावें।